निबंधित

बिहार सरकार
परिवहन विभाग
पत्रांक–02/कर माफी–19/2016 परि0
आदेश

वाहन स्वामी उपस्थित। अभिलेख उपस्थापित। जिला परिवहन पदाधिकारी, मुज्फ्फरपुर द्वारा भेजे गये अभिलेख एवं संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। यह विषय वाहन सं0–BR06GA 8286 (ट्रक) बनाम श्री नरेन्द्र सिंह, पिता–स्व0 लाल सिंह, ग्राम–झालपो रोड, वार्ड नं0–07, सामंतों पेट्रोल पम्प के सामने, पो0–झुमरी तिलैया, जिला–कोडरमा, (झारखण्ड) के कर माफी से संबंधित है। शपथ–पत्र वाहन स्वामी द्वारा दिया गया है अभिलेख के अवलोकन से कागजातों की स्थिति निम्न प्रकार पायी गयी :–

1. कर प्रतीक :–दिनांक–16.09.2016 को जिला परिवहन कार्यालय, मुजफ्फरपुर का टैक्स टोकन की मूल प्रति 4162 रू0 का है।
2. दुरूस्ती प्रमाण–पत्र :–दिनांक–28.02.2013 से 27.02.2014
3. बीमा प्रमाण–पत्र :–दिनांक–28.02.2012 से 27.02.2013
4. निबंधन :–विषयगत वाहन सं0– BR06GA 8286 (ट्रक) श्री नरेन्द्र सिंह, पिता–स्व0 लाल सिंह, ग्राम–झालपो रोड, वार्ड नं0–07, सामंतों पेट्रोल पम्प के सामने, पो0–झुमरी तिलैया, जिला–कोडरमा, (झारखण्ड) के नाम से निबंधित है।
5. जप्ति की सूचना :–विषयगत वाहन तिलैया थाना कांड सं0–89/12 में दिनांक–12.10.2012 को तिलैया थाना द्वारा जप्त किया गया था जो दिनांक–12.10.2012 से दिनांक–30.07.2015 तक थाने में ही जप्त रही है।
6. शपथ पत्र :–वाहन स्वामी द्वारा अपने वाहन से संबंधित शपथ पत्र संलग्न दिया गया।
7. परमीट :–उपर्युक्त वाहन का क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा Gross vehicle weight– 16,200 kgs के लिये वर्ष–2014 तक का परमिट निर्गत किया गया है।
8. आदेश :–अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी, कोडरमा द्वारा दिनांक–20.07.2015 को जारी किया गया उपर्युक्त वाहन से संबंधित मुक्ति आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्ण है।

उपर्युक्त विवरण एवं तथ्यों से स्पष्ट है कि उक्त अवधि में वाहन का परिचालन नही हुआ है। अतः जिला परिवहन कार्यालय, मुजफ्फरपुर द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में दिनांक–12.10.2012 से दिनांक–30.07.2015 तक वाहन के कर माफी की स्वीकृति दी जाती है।

यदि जप्त अवधि में वाहन के परिचालन का प्रमाण पाया जाता है तो अर्थदण्ड सहित कर/अतिरिक्त कर वसूलनीय होगा।

ह0/–
संयुक्त परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना

ज्ञापांक–02/कर माफी–19/2016 परि0 5993 पटना, दिनांक– 4/10/16

E-mail

प्रतिलिपि – जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को अनुपालनार्थ एवं वाहन स्वामी श्री नरेन्द्र सिंह, पिता–स्व0 लाल सिंह, ग्राम–झालपो रोड, वार्ड नं0–07, सामंतों पेट्रोल पम्प के सामने, पो0–झुमरी तिलैया, जिला–कोडरमा, (झारखण्ड) को सूचनार्थ प्रेषित।

संयुक्त परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।